

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौड़गढ़

पीठारसीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या:- 61/2022

दायर दिनांक:- 09.06.2022

निर्णय दिनांक:- 06.05.2024

उनवान

1. सीमा पत्नि श्री अशोक कुमार जाति महाजन, निवासी आकोला, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
2. यामिनी पत्नि श्री अरुण कुमार जाति महाजन, निवासी आकोला, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. विरम पिता उदा जाति रावत निवासी लालावास, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
2. मृतक नारायण पिता नंदा जाति रावत निवासी लालावास, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ के बजाय
2 (1). मुकेश पिता नारायणलाल रावत निवासी लालावास तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
2 (2). फुलचन्द पिता नारायणलाल रावत निवासी लालावास तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

—:निर्णय:—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा लालावास पटवार हल्का चोरवड़ी तहसील भूपालसागर की आराजी संख्या 236 रकबा 0.93 हैक्टेयर भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दपत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(पनीत कुमार गुप्ता)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर